उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या– 130/XXXVI/2011-17–एक(5)/2005
देहरादूनः दिनांकः 27 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 वर्ष 1987) की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नालिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 16 के उपनियम (9) के बाद उपनियम (10) एवं (11) अन्तःस्थापन 2– उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 16 के उपनियम (9) के पश्चात उपनियम (10) एवं उपनियम (11) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगें: अर्थात

"(10) 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
(11) हिजड़ा समुदाय"

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 130(1)/XXXVI/2011-17–एक(5)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव